FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0058 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/03/2025 18:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 10/09/2024 Date To (दिनांक तक): 26/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 17:30 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/03/2025 Time (समय): 17:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/03/2025 18:24:52 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 20 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): VANIJYIK KAR VIBHAG JILA CHURU
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KAMAL KUMAR SONI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAT.BUDDH PRAKASH SONI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 23/07/1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 35, MOCHIWARA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 35, MOCHIWARA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KULDEEP RANWAN		पिता:LAT.SANJAY KUMAR	1. GOAN RANVAN KI DHANI,CHURU,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	दस हज़ार रूपये	10,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्री कमल कुमार सोनी निवासी मोचीवाड़ा चूरू ने दिनांक 10.09.2024 को एसीबी चौकी चूरू में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट उप अधीक्षक पुलिस को पेश की कि मैं कमल कुमार सोनी निवासी मोचीवाड़ा वार्ड नम्बर 45 चूरू का निवासी हूं। मेरी फर्म जी.बी. एण्ड सन्स के नाम से है। जिसका मैं प्रोपराईटर हूं। मेरी यह फर्म वर्ष 2021-22 से रनिंग में है जिसके जी.एस.टी. नम्बर 08ELNPS8812L1Z6 है। मेरी फर्म का पिछले साल भर से प्रोपर मेन्टीनेंस नहीं होने से मेरे पास जी.एस.टी. विभाग चूरू से कुलदीप चौधरी का फोन आया। आपकी फर्म ने बिल जनरेट नहीं किये है इसलिए आपके उपर 200 प्रतिशत पेनेल्टी लगेगी। आप आकर मेरे से मिलो। कुलदीप चौधरी के फोन से ही बुडानियां जी एसीटीओ साहब ने बात की और कहा कि क्यों आपकी फर्म को डिफाल्ट करवाना चाह रहे हो ऑफिस में आकर मेरे से या कुलदीप चौधरी से बात करके सेटल करो। तब मैनें कुलदीप चौधरी से पूछा तो उसने कहा कि मेरे व साहब के करीब 20 से 25 हजार रुपये खर्चा कर देना। मैं बुडानिया जी से पेनल्टी नहीं लगवाउंगा और तुम्हारे खाते को सेट कर देगें। कुलदीप चौधरी व बुडानिया जी मुझे 200 प्रतिशत पेनल्टी लगानी की कहकर रिश्वत मांग रहे है जबकि मेरी फर्म में मैनें ऐसा कोई डिफाल्ट नहीं किया है केवल बिल जनरेट कारणवश नहीं हो पाये। मैं मेरे जायज काम के बदले उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और उनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। एसडी कमल कुमार सोनी दिनांक 10.09.2024 परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मजीद पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को सही होना व उक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया गया। परिवादी कमल कुमार सोनी को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी कमल कुमार सोनी ने बताया कि आज आरोपी कुलदीप चौधरी से मैं रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता कर रिकॉर्ड कर सकता हूं। इस पर चौकी के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि परिवादी को समझा कर जरिये फर्द सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत कानि0 बसन्त सिंह को रिश्वती मांग वार्ता के सत्यापन हेतु हमराह भेजा गया। बाद सत्यापन वार्ता बसन्त सिंह कानि. 164 कार्यालय में उपस्थित आया व सरकारी वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर उप अधीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी कमल कुमार सोनी कार्यालय से रवाना होकर नर्बदा पार्क चूरू के पास पहुंचे तो मैनें वॉईस रिकार्डर परिवादी कमल कुमार सोनी को चालू कर सुपुर्द किया। काफी समय बाद परिवादी कमल कुमार सोनी मेरे पास आया व वॉईस रिकार्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर बताया कि कुलदीप चौधरी मेरे साथ मेरे घर पर चला गया व वहां बैठकर मेरे काम के संबंध में बात की व 15000 रूपये में काम करना स्वीकार किया व उसी समय फोन पे के द्वारा अपने खाते में पैसे डलवाने चाहे लेकिन मेरे पास फोन पे में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण मैनें मना कर दिया व आईन्दा रूपयों की व्यवस्था होने पर कुलदीप चौधरी से सम्पर्क करने की बात हुई। सम्पर्क होने पर मैं आपको सुचित कर दूंगा। वॉईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होती है। आईन्दा परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त 03.40 पीएम पर परिवादी कमल कुमार सोनी ने सम्पर्क कर बताया कि कुलदीप चौधरी मेरे वाट्सएप कॉल से बार-बार सम्पर्क कर रहा है। इस पर बसन्त सिंह कानि. को वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी से सम्पर्क करने रवाना किया गया। शाम 05.30 पीएम पर बसन्त सिंह वापस चौकी आया व वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर उप अधीक्षक को बताया कि वह इन्द्रमणी पार्क चूरू में परिवादी कमल कुमार सोनी से मिला, जहां पर परिवादी के मोबाईल से कुलदीप चौधरी के मोबाईल पर जरिये वाट्सएप कॉल कर वार्ता करवाई गई, उक्त वार्ता में कुलदीप चौधरी से फोन पर लेन-देन की वार्ता करने से मना किया व कहा कि मिलकर बात कर लेगें। उक्त वार्ता को वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 26.09.2024 को कमल कुमार सोनी चौकी उपस्थित आया व उप अधीक्षक को बताया कि कुलदीप चौधरी ने मुझे फोन कर बात करने के लिये बुलाया है। सम्भवतः वह मेरे से मेरे कार्य एवं रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेगा। इस पर बसन्त सिंह कानि. को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी कमल कुमार के साथ सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। करीब दो घंटे बाद बसन्त सिंह वापिस आया व वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर उप अधीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी नर्मदा पार्क चूरू के पास पहुंचे जहां पर वॉईस रिकॉर्डर चालू कर कमल कुमार को सुपुर्द किया। परिवादी कमल कुमार ने वापिस आकर मुझे बताया कि मैं वॉईस रिकॉर्डर लेकर कुलदीप से बात करने गया तो

वह अपने जीएसटी कार्यालय चूरू में ले गया । वहां जाकर उसने मुझे मेरी फर्म को डिफाल्टर नहीं करने एवं फर्म के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिये कहा व 10 हजार रुपये रिश्वत के लेने में सहमत हुआ है तथा रुपयों की व्यवस्था कर सम्पर्क करने की कही है । वॉईस रिकॉर्डर की वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बसन्त सिंह को बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई । वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया । दिनांक 05.11.2024 को उप अधीक्षक पुलिस के दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रकरण के कागजात व रिकॉर्डेड वार्ता की वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये । परिवादी कमल कुमार को तलब कर उसकी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं परिवादी से पूछताछ की गई । परिवादी कमल कुमार व आरोपी कुलदीप चौधरी के मध्य पूर्व में हुई वार्ताओं के वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ताओं को परिवादी कमल कुमार व बसन्त सिंह कानि. के समक्ष सुन-सुन कर कानि. राकेश कुमार से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई । सत्यापन वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उसे लेपटॉप में डाउनलोड कर वॉईस रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर उसे कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क A अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा लेपटॉप में डाउनलोड वार्ता को दो डीवीडी में डाउनलोड कर एक डीवीडी को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क A-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये व एक डीवीडी को खुला रखा गया । परिवादी कमल कुमार को रिश्वती राशि 10 हजार रुपये की व्यवस्था कर सम्पर्क करने के निर्देश देकर रूखसत दी गई। दिनांक 07.11.2024 को परिवादी कमल कुमार ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि 10 हजार रुपये की व्यवस्था हो गई है तथा आरोपी कुलदीप आज उसे कार्यालय में मिल सकता है तथा रिश्वत राशि ले लेगा । चूंकि एसजीएसटी कार्यालय एसीबी कार्यालय भवन के सामने ही है ऐसी स्थिति में यदि परिवादी चौकी पर आता है तो दोनों कार्यालयों के बीच बनी चाय की थड़ी पर एसजीएसटी के थड़ी पर आने वाले कर्मचारी परिवादी को देख कर संदेह कर सकते है । इसलिए परिवादी कमल कुमार को मन् पुलिस निरीक्षक के पूनियां कॉलोनी चूरू स्थित आवास पर रिश्वत राशि लेकर पहुंचने के निर्देश दिये गये तथा प्रवीण कुमार कानि. को पीएचईडी खण्ड चूरू से दो सरकारी कर्मचारी तलब कर उनको साथ लेकर मेरे निवास पर पहुंचने के निर्देश देकर जरिये तहरीर रवाना कर मैं पुलिस निरीक्षक मय श्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., श्री राकेश कुमार कानि., बसन्त सिंह कानि. के फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर तथा लेपटॉप प्रिन्टर इत्यादि हमराह लेकर अपने निजी वाहन से पूनियां कॉलोनी चूरू स्थित अपने निवास स्थान के लिये रवाना हुआ तथा दिगर कार्यालय स्टाफ को ट्रेप बॉक्स इत्यादि सामान सहित कार्यालय में मेरे फोन के इंतजार में सतर्क रहने के निर्देश दिये गये । मैं पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पूनियां कॉलोनी चूरू स्थित अपने आवास पर पहुंचा जहां पाबन्द शुदा परिवादी कमल कुमार हाजिर मिला तथा कानि. प्रवीण कुमार भी पीएचईडी खण्ड कार्यालय चूरू से दो कर्मचारी सुरेन्द्र सिंह सिहाग व अनिल कुमार दईया कनिष्ठ सहायक को लेकर हाजिर आया । दोनों कर्मचारियों का परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती देने पर दोनों को परिवादी की रिपोर्ट एवं सत्यापन वार्ता के तथ्यों से अवगत करवाया जिसे परिवादी कमल कुमार ने सही होना बताया। परिवादी कमल कुमार सोनी ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह सिहाग व अनिल कुमार के समक्ष रिश्वत में दिये जाने वाले रुपये दस हजार (पांच-पांच सौ रुपये के बीस नोट) पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कर सभी नोटों पर कानि. प्रवीण कुमार से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी कमल कुमार के पहनी पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को आवशयक हिदायत दी गई एवं आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने पर ईशारा बताया गया। कानि. प्रवीण कुमार के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में धुलवाया जाकर परिवादी एवं गवाहान को फिनोलफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रिया का दृष्टान्त देकर महत्व समझाया गया। परिवादी कमल कुमार को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड लगाकर सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोलफ्थलीन पाउडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 02.10 पीएम पर मन् महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक परिवादी कमल कुमार सोनी को उसकी मोटर साईकिल पर कानि. बसन्त सिंह के साथ आरोपी से सम्पर्क करने रवाना कर पीछे-पीछे कानि. राकेश कुमार व गवाह अनिल कुमार को निजी मोटरसाईकिल पर रवाना कर तथा इनके पीछे-पीछे मैं पुलिस निरीक्षक मय श्री गिरधारी सिंह स.उ.नि. व गवाह सुरेन्द्र सिंह के अपने निजी वाहन से एसजीएसटी कार्यालय के लिये रवाना होकर सा.नि.वि. कार्यालय के पास पहुंचा। यहां पर कमल कुमार परिवादी कानि. बसन्त सिंह को छोड़कर एसजीएसटी कार्यालय के लिये रवाना हो गया व बसन्त सिंह सानिवि कार्यालय की तरफ चला गया तथा मैं पुलिस निरीक्षक हमराहीयान के साथ एसीबी कार्यालय परिसर में प्रवेश कर यहीं पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए। कुछ देर बाद परिवादी कमल कुमार अपनी मोटर साईकिल पर एसजीएसटी कार्यालय से बिना ईशारा किये ही बाहर निकलकर सा. नि.वि. कार्यालय की तरफ चला गया। इस पर मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान व राकेश कुमार कानि., बसन्त सिंह कानि. को अपने निजी वाहन से साथ लेकर परिवादी के पीछे-पीछे पीएचईडी कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर पहुंचा। यहां एक तरफ सुरक्षित स्थान पर परिवादी को लेकर आया तो परिवादी कमल कुमार ने बताया कि वह एसजीएसटी कार्यालय में जाकर आरोपी कुलदीप के कक्ष में गया तो कुलदीप नहीं मिला। मैनें बाहर बैठे व्यक्ति से पूछा तो उसने आरोपी कुलदीप का आज अवकाश पर होना बताया है। परिवादी कमल कुमार के बताये अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से

परिवादी कमल कुमार की पेंट की जेब में रखी रिश्वत राशि दस हजार रुपये कानि. बसन्त सिंह से निकलवाकर एक कागज में लपेटकर सुरक्षित रखी। आईन्दा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करें तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करने के निर्देश देकर परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको रूखसत दी गई। मैं पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व जाप्ते के रवाना होकर चौकी चूरू पहुंचा। रिश्वत राशी को सुरक्षित रखा गया। दोनों गवाहान व जाप्ते को पूर्ण गोपनीयता रखने बाबत् हिदायत कर गवाह को रूखसत दी गई। दिनांक 10.12.2024 को परिवादी कमल कुमार ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि मैं करीब महिने भर से व्यापार के सिलसिले में छतीसगढ गया हुआ था। कल शाम को ही चूरू आया हूं तथा आज रिश्तेदारी में शादी में जा रहा हूं। दिनांक 15.12.2024 तक वापिस आउंगा। छतीसगढ प्रवास के दौरान मेरी एसजीएसटी कार्यालय चूरू में जरिये टेलिफोन वार्ता हुई थी तो आरोपी कुलदीप का स्वयं की शादी में अवकाश पर जाना बताया था। मैं वापिस आकर कुलदीप के सम्पर्क करने पर आपके पास उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी कमल कुमार को आवश्यक निर्देश दिये गये। दिनांक 18.12.2024 को परिवादी कमल सोनी कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि कल दिनांक 17.12.2024 को मेरी कुलदीप चौधरी से वार्ता हुई थी तो उसने कहा कि आप कौन हो मैं आपको नहीं जानता । मेरे पास आपका कोई काम पेण्डिग नहीं है। इसलिए मेरे से मिलने की आवश्यकता नहीं है तथा बताया कि मैनें पहले भी एक ट्रेप करवाया था उसका मालूमात होने पर शायद कुलदीप को शक हो गया है, अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। इसलिए आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं होने तथा रिश्वत राशि 10,000 रुपये वापस लेने हेतु परिवादी कमल सोनी ने रिपोर्ट पेश की जिस पर रिश्वत राशि परिवादी को वापिस लौटाई जाकर रसीद प्राप्त की गई। अब तक के उपरोक्त तथ्यों से पाया गया कि श्री कमल कुमार सोनी निवासी मोचीवाड़ा चूरू द्वारा जी.बी. एण्ड सन्स नामक फर्म बना रखी है जिसका वह मालिक है तथा उक्त फर्म वर्ष 2021-22 से रनिंग में है तथा फर्म को जी.एस.टी. नम्बर भी आवंटित है। उक्त फर्म का पिछले सालभर से प्रोपर मेंटीनेंस नहीं होने के कारण एस.जी.एस.टी. विभाग चूरू के श्री कुलदीप रंणवा ने परिवादी कमल कुमार सोनी को बुलाकर वार्ता की व उसकी फर्म को डिफॉल्ट करने से रोकने के लिये तथा फर्म के पूरे दस्तावेज प्रोपर मेन्टेंन करने के लिये स्वयं व एसीटीओ के लिये अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर फोन-पे के माध्यम से देने के लिये परिवादी को कह कर रिश्वत राशि ऑन लाईन प्राप्त करने का प्रयास किया । परिवादी द्वारा ऑन लाईन देने में असमर्थता जाहिर करने पर व राशि कम करने की कहने पर आरोपी ने 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय किया जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया। अतः श्री कुलदीप रणवां पुत्र स्व. संजय कुमार जाति जाट निवासी गांव रणवां की ढाणी तहसील चूरू हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार)पुलिस निरीक्षक,भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कुलदीप रणवां पुत्र स्व. संजय कुमार जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी गांव रणवां की ढाणी तहसील चूरू हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग चूरू(राज.)के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, चूरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 240 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 321-24 दिनांक 18-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी कर विभाग, राजस्थान, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)